

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर, कानपुर देहात।
उपस्थित: राशि तोमर (उ०प्र० न्यायिक सेवा) ID NO. UP 2540
मुकदमा सं०-1108/2022

सरकार

बनाम

ध्रुव आदि।

आदेश

10/10/2022

अभियुक्तगण ध्रुव व विनीता देवी की ओर से मुकदमा सं०-1108/2022 अंतर्गत धारा- 323,504,506 I.P.C थाना अमराहट जिला कानपुर देहात में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का प्रबल विरोध है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण का जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से बीस हजार रुपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

राशि तोमर
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
ID NO. UP 2540